WWW.SARKARIONLINEJOB.COM

भारतीय राजव्यवस्था

संविधान सम्बधित तथ्य :–

- बी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहाकार नियुक्त किया गया था –
- संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसम्बर 1946 को संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष में प्रारम्भ हुआ । डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा को सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया ।
- 11 दिसम्बर 1946 की बैठक में डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया ।
- 13 दिसम्बर 1946 को पं. जवाहर लाल नेहरू ने 'उद्देश्य प्रस्ताव ' प्रस्तुत कर संविधानन की आधारशिला रखी ।
- सविधान के निर्माण का कार्य करने के लिए अनेंक समितियां बनाई गई जिनमें सबसे प्रमुख डॉ. भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में बनी 7 सदस्यी वाली प्रारूप समिति थी
- प्रारूप समिति में डॉ. अम्बेडकर के अतिरिक्त सर्वश्री एन. गोपालस्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, के. एम. मुशी मोहम्मद सादुल्लाह डी.पी. खेतान (1948 में इनकी मृत्यु के पश्चात टी. टी. कृष्णामाचारी) और एन. माधवराव अन्य सदस्य थे ।
- संविधान को तैयार करने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा
- संविधान 26 नवम्बर 1949 को बनकर तैयार हो गया था । और इसी दिन इसके अध्यक्ष के हस्ताक्षर हुए ।
- हालांकि संविधान 26 नवम्बर 1949 को तैयार हो गया था परन्तु इसके अधिकतर भागों को 26 जनवरी 1950 को लागु किया गया । क्योंकि सन 1930 से सम्पुर्ण भारत में 26 जनवरी का दिन ' स्वाधीनता दिवस ' के रूप में मनाया जाता था । इसीलिए 26 जनवरी 1950 को प्रथम गणतन्त्रता दिवस मनाया गया ।
- संविधान सभा की अन्तिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई और इसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया ।
- नवनिर्मित संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 8 अनुसुचियां थी ।
- डॉ. भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान के 'जनक' के रूप में जाना जाता है।

भारतीय संविधान के स्त्रोत :–

- ब्रिटेन :– संसदीय शासन ,विधि निर्माण प्रकिया , एकल नागरिकता , संसदीय विशेषाधिकार ,मत्रिमण्डल का लोकसभा के प्रति सामुहिक उतरदायित्व, औपचारिक प्रधान के रूप में राष्ट्रपति ।
- अमेरिका :– मौलिक अधिकार , उपराष्ट्रपति, स्वतंत्र एव निष्पक्ष न्यायालय ,न्यायिक पुनरावलोकन ,सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं शक्तियां सर्वौच्च व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि ।
- कनाडा, 1935 एक्ट :– संघात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केन्द्र के पास होना ।
- आयरलैण्ड :– नीति–निर्देशक तत्व ।
- जर्मनी 1935 एक्ट :– आपात उपबन्ध ।
- सोवियत संघ (रूस):– मौलिक कर्त्तव्य पंचवर्षीय योजना
- फ्रांस :– गणतन्त्र ।
- ऑस्ट्रेलिया :– समवर्ती सूची , प्रस्तावना की भाषा , केन्द्र राज्यों के बीच सम्बध तथा शक्तियों का विभाजन ।
- दक्षिण अफ्रिका :– संविधान संशोधन की प्रकिया
- जापान :– कानून द्वारा स्थापित 'शब्दावली'

संविधान की प्रस्तावना :–

- भारत के संविधान से पूर्व प्रस्तावना दी गई है। जो संविधान के उद्देश्यों व आदर्शो की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। यह प्रस्तावना इस प्रकार है।

> 'हम भारत के लोग , भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन , समाजवादी , धर्मनिरपेक्ष , लोकतांन्त्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक ,आर्थिक और राजनैतिक न्याय विचार , अभिव्यक्ति , विश्वास , धर्म और उपासना की स्वतंत्रता ,प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सबमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढाने के लिए दृढ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर 1949 ई. को एतदृद्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते है।

- प्रस्तावना का बहुत अधिक महत्व है। तथा इसे 'संविधान की कुंजी' की संज्ञा दी गई है।
- नोट :– संविधान की प्रस्तावना में 'समाजवादी , धर्मनिरपेक्ष तथा 'अखण्डता' शब्द 42 वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोडे गए थे

संविधान की अनुसूचियाँ

- भारतीय संविधान के मूल पाठ में 8 अनुसूचियां थी लेकिन वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां है। संविधान की इन अनुसूचियों का विवरण निम्न प्रकार है।
- **प्रथम अनुसूची** :– इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों और संघीय क्षेत्रों का उल्लेख है।
- **द्वितीय अनुसूची** :– इसमें भारतीय राजव्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों (राष्ट्रपति ,राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ,राज्यसभा के सभापति और उप–सभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष

8795728611

https://www.facebook.com/sarkarionlinejob/

WWW.SARKARIONLINEJOB.COM

विधानपषिद् के सभापति और उप–सभापति ,उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक, आदि) को प्राप्त होने वाले वेतन, भते और पेन्शन आदि का उल्लेख किया गया है।

- **तृतीय अनुसूची** :– इसमें विभिन्न पद्धारियों (राष्ट्रपति ,उप–राष्ट्रपति, मन्त्रि, संसद सदस्य, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों आदि) द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है।
- **चतुर्थ अनुसूची** :– इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है।
- **पांचवी अनुसुची** :– इसमें विभिन्न अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियन्त्रण के बारें में उल्लेख है।
- **छठी अनुसूची** :– इसमें असोम, मेघालय ,त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारें में प्रावधान है।
- **सातवीं अनुसूची** :– इसमें संघ सुची (100 विषय) राज्य सुची (61 विषय) और समवर्ती सुची(52 विषय) के विषयों का उल्लेख किया गया है।
- **आठवीं अनुसूची** :– इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है।
- **नवीं अनुसूची** :– इसके अन्तर्गत राज्य द्वारा सम्पति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है।
- **दसवीं अनुसूची** :– इसमें दल –बदल से सम्बन्धित प्रावधानों का उल्लेख है।
- **ग्यारहवीं अनुसूची** :– इस अनुसूची के आधार पर 'पंचायती राजव्यवस्था ' को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है।
- **बारहवीं अनुसूची** :– इस अनुसूची के आधारा पर शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का उल्लेख कर उन्हें संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है।

मूल अधिकार

- भारतीय नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्राप्त है। जो निम्नलिखित है :–

1. समानता का अधिकार (अनुच्छेद14–18)

- कानून के समक्ष समानता (अनुच्छेद 14)
- धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध (अनुच्छेद 15)
- सरकारी पदों की प्राप्ती के लिए अवसर की समानता (अनुच्छेद 16)
- अस्पृस्यता का निषेध (अनुच्छेद 17)
- उपाधियों का अन्त (अनुच्छेद 18)

2. स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19–22)

- विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19)
- अस्त्र–शस्त्र रहित तथा शान्तिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19)
- समुदाय और संघ निर्माण की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19)
- भारत राज्य क्षेत्र में अबाध निवास की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19)
- भारत राज्य क्षेत्र में अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19)
- वृति, उपजिविका या कारोबार की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19)
- उपराध की दोष सिद्धी के विषय में संरक्षण (अनुच्छेद 20)
- व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा (अनुच्छेद 21)
- बन्दीकरण की अवस्था से संरक्षण (अनुच्छेद 22)

3. शोषण के विरूद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23 ओर 24)

- मनुष्यों के क्रय विक्रय और बेगार पर रोक (अंनुच्छेद 23)
- 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों , खानों तथा अन्य खतरनाक कामों में नौकरी पर रखने पर निषेध (अनुच्छेद 24)

4.धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25–28)

- अन्तःकरण की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 25)
- धार्मिक मामलों का प्रबन्ध करने की स्वतंन्त्रता (अनुच्छेद 26)
- धार्मिक व्यय के लिए निश्चित धन पर कर की अदायगी से छूट (अनुच्छेद 27)
- शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने या न प्राप्त करने की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 28)

5.संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार (अनुच्छेद 29–30)

- संविधान सभी अल्पसंख्यकों को अधिकार देता है। कि वे अपनी भाषा, लिपि व संस्कृति को बनाए रख सकते है। और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वे शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा उनका संचालन कर सकते है।

6.संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32)

- संविधान द्वारा प्रदत किए गए इस अधिकार को डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने 'संविधान का हृदय तथा आत्मा की संज्ञा दी । यह अधिकार सभी नागरिकों को छूट देता है कि वे अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पास जा सकते है। तथा अपने अधिकारों को लागु करने की मांग कर सकते है।

नोट :– भारतीय नागरिकों को वर्तमान समय में सम्पति का अधिकार मूल रूप से प्राप्त नहीं है। इसे 44 वें संशोधन द्वारा एक कानूनी अधिकार बना दिया गया जिसका उल्लेख अनुच्छेद '300 क' में है।

मूल कर्त्तव्य

- सन 1975 में संविधान में 42 वें संशोधन में संविधान के चतुर्थ भाग के बाद भाग 'चतुर्थ अ' (अनुच्छेद 51 क) जोडा गया जिसमें 10 मूल कर्त्तव्यों की व्यवस्था की गई । वर्ष 2002 में 86 वें संविधान संशोधन के बाद मूल कर्त्तव्यों की संख्या 11 हो गई है।

राज्य के नीति निदेशक तत्व

- संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निदेशक तत्वों का वर्णन है।
- ये उन उदेश्यों को उल्लेखित करते है जो राज्य को हासिल करने चाहिए।

8795728611

https://www.facebook.com/sarkarionlinejob/

- ये तत्व हमारे संविधान की प्रतिज्ञाओं और आकांक्षाओं को वाणी प्रदान करते है। इस प्रकार ये सिद्धान्त देश के प्रशासकों के लिए एक आचार संहिता है। नीति निदेशक तत्व केवल अनुदेश है। ये न्यायालय द्वारा लागु नहीं कराए जा सकते अर्थात ये वाद योग्य नहीं है इनमें और मौलिक अधिकारों में यही सबसे बडा अन्तर है।

राष्ट्रपति

योग्यताएँ:–

- वह भारत का नागरिक हो ।
- वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो ।
- वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होन की योग्यता रखता हो ।
- वह किसी भी सरकारी लाभ के पर आसीन नही होना चाहिए। निम्न पर लाभ के पर नहीं माने जाते –
- राष्ट्रपति ,उपराष्ट्रपति ,राज्यपाल केन्द्रीय अथवा राज्य का मंन्त्री।
- राष्ट्रपति पद के लिए नाम का प्रस्ताव तथा इसका अनुमादन कम से कम 50–50 निर्वाचकों द्वारा किया जाना चाहिए।

निर्वाचन प्रकिया –

- भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मण्डल द्वारा चुना जाता है। जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मण्डल में संसद के मनोनीत सदस्य , राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य तथा राज्य विधानपरिषों के सदस्य शामिल नही किए जाते है।
- राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल सक्रमणीय प्रणाली को अपनाया गया है।
- मतदान गुप्त मतपत्र द्वारा होता है और चुनाव में सफलता प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार को 'न्युनतम कोटा' प्राप्त होना आवश्यक होता है।
- राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए जमानत की धनराशि 15000 रू निश्चित की गई है।
- राष्ट्रपति के चुनाव से सम्बन्धित विवादों की छानबीन तथा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है।

शपथ :–

- राष्ट्रपति को अपना पद ग्रहण करने के पूर्व भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिती से सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ लेती होती है।

उपलब्धियाँ, भत्ते तथा कार्यकाल :–

- राष्ट्रपति की मासिक उपलब्धियां 150000 रू हे। इसके अतिरिक्त उन्हें निःशुल्क निवास स्थान व संसद द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते प्राप्त होते है। सेवानिवृति के बाद राष्ट्रपति को नौ लाख रू. वार्षिक पेशन प्राप्त होते है। संविधान के अनुच्छेद 59 के अनुसार राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भते उसके कार्यकाल में घटाए नहीं जा सकते ।
- राष्ट्रपति का काय।काल 5 वर्ष निश्चित किया गया है। यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा महाभियोग द्वारा पदचुति के कारण राष्ट्रपति का पद इस अवधि के अन्तर्गत रिक्त हो जाए तो इस स्थिती में नए राष्ट्रपति का चुनाव पुनः 5 वर्ष की सम्पूर्ण अवधि के लिए होता है। न कि शेष अवधि के लिए ।
- संविधान द्वारा राष्ट्रपति पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है।

महाभियोग :–

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का उल्लंघन करने पर उसके विरूद्ध महाभियोग चलाकर उसे पदच्युत किया जा सकता है।
- महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है।

पद की रिक्ति :–

- यदि राष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र अथवा पद से हटाए जाने के कारण खाली होता है। तो उपराष्ट्रपति ,राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। यदि उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित है। तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता हे। मुख्य न्यायाधीश्ज्ञ की अनुपस्थिती में सवौच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है।

राष्ट्रपति के कार्य व शक्तियां :–

- कार्यपालिका सम्बन्धी शक्तियां – महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति व पदच्युति , शासन संचालन सम्बधी शक्ति , सैनिक क्षेत्र में शक्ति , इत्यादि ।
- **विधायी शक्तियां** – विधायी क्षेत्र का प्रशासन , सदस्यों का मनोनयन ,अध्यादेश जारी करने की शक्ति,इत्यादि ।
- राष्ट्रपति वित आयोग , संघीय लोक सेवा आयोग, चुनाव आयोग, भाषा आयोग और नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक आदि के प्रतिवेदनों को संसद के सापने प्रस्तु करता है।
- **संकटकालीन शंक्तियां** – संकट की स्थिती का सामना करने के लिए संविधान द्वारा राष्ट्रपति को विशेष शक्तियां प्रदान की गई है। 44 वें संवैधानिक संशोधन के बाद वर्तमान में संविधान के संकटकालीन प्रावधान निम्न प्रकार से है।
- युद्ध , बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिती से सम्बन्धित संकटकालीन व्यवस्था (अनुच्छेद 352)
- राज्यों में संवैधानिक तन्त्र के विफल होने से उत्पन्न संकटकालीन व्यवस्था (अनुच्छेद 356)
- वितिय संकट(अनुच्छेद360)

कुछ महत्वपूर्ण तथ्य :–

- डॉ. राजेन्द्र प्रसाद दो कार्यकाल रखने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे ।
- नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति थे ।
- डॉ. वी. वी. गिरी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जिनके निर्वाचन में द्वितीय चक्र की मतगणना करनी पडी थी ।
- डॉ. वी. वी. गिरी प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे ।

WWW.SARKARIONLINEJOB.COM

- राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश एम.हिदायतुल्ला थे ।

उपराष्ट्रपति

निर्वाचन :–

- उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत से तथा गुप्त मददान द्वारा होता है।

योग्यताएँ :–

- वह भारत का नागरिक हो ।
- उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो ।
- वह राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो ।

कार्यकाल :–

- उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता किन्तु वह स्वेच्छा से त्यागपत्र द्वारा इस अवधि के पूर्व भी अपना पद छोड सकता है। अथा उसे राज्यसभा के कुल बहुमत द्वारा पास किए प्रस्ताव से , जिसे लोकसभा भी स्वीकार कर ले, पदच्युत किया जा सकता है।

वेतन एवं भत्ते :–

- वर्तमान में उपराष्ट्रपति को 1,25,000 हजार रूपए , प्रति माह वेतन प्राप्त होता है।

उपराष्ट्रपति के कार्य :–

- उपराष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन सभापति होता है।
- यदि कभी राष्ट्रपति , रोग अथवा अनुपस्थिती के कारण अस्थायी रूप से अपने कर्तव्यों को पूरा करने में असमर्थ हो तो उपराष्ट्रपति ही उसके स्थान पर कार्य करता है।

कुछ महत्वपूर्ण तथ्य :–

- जी. एस. पाठक ,बी. डी. जती, एम.हिदायतुल्ला और कृष्णकान्त राष्ट्रपति पद पर पदोन्नति न पाने वाले उपराष्ट्रपति रहे ।
- डॉ. कृष्णकांन्त एकमात्र उपराष्ट्रपति थे , जिनका निधन कार्यकाल के दौरान हुआ ।

मंन्त्रिपरिषद् और प्रधानमंन्त्री

मंन्त्रिपरिषद् का गठन :–

- मंन्त्रिपरिषद् से एक प्रधानमन्त्री तथा आवश्यकतानुसार अन्य मंन्त्री होते है। 91 वें संवैधानिक संशोधन 2003 द्वारा अनुच्छेद 164 में प्रावधान किया गया हे। कि केन्द्र और राज्य मंन्त्रिपरिषद् की सदस्य संख्या लोकसभ (केन्द्र के लिए)और विधानसभा (राज्यों के लिए)की कुल संख्या की 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए , तथापि छोटे राज्यों के लिए न्यूनतम संख्या 12 निर्धारित की गई हे।

मंन्त्रिपरिषद और मंन्त्रिमण्डल

- मंन्त्रिपरिषद में प्रधानमंत्री , कैबिनेट मंन्त्री राज्यमंत्री और उपमन्त्री – इन चारों श्रेणियों के मंन्त्री सम्मिलित होते है। लेकिन मंन्त्रिमण्डल में प्रधानमंन्त्री और कैबिनेट स्तर के मंन्त्री ही सम्मिलित होते है।
- प्रधानमंन्त्री की नियुक्ति ,वेतन तथा भते :–
- संसदात्मक प्रणाली में राष्ट्रपति लोकसभ के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंन्त्री पद पर नियुक्त करने के लिए बाध्य है।
- प्रधानमंन्त्री को वही वेतन तथा भते दिए जाते है। जो संसद के सदस्यों को प्रदान किए जाते है। इसके अतिरिक्त उसे 3000 रू प्रति मास व्यय – विषयक भता भी दिया जाता है।

प्रधानमंन्त्री के कार्य एवं शक्तियाँ :–

- मंन्त्रिपरिषद का निर्माण
- मंन्त्रियों में विभागों का बंटवारा और विभाग परिवर्तन
- लोकसभा का नेता
- राष्ट्रपति तथा मंन्त्रिमण्डल के बीच सम्बन्ध स्थापित करना
- अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत का प्रतिनिधित्व ।
- देश के सर्वोच्च नेता तथा शासक के रूप में कार्य ।

कुछ महत्वपूर्ण तथ्य :–

- प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंन्त्री :– श्री मोरारजी देसाई ।
- सबसे लम्बे कार्यकाल वाले प्रधानमंन्त्री :– पं. जवाहरलाल नेहरू
- सबसे छोटे कार्यकाल वाले प्रधानमंन्त्री :– अटल बिहारी वाजपेयी (13दिन)
- एकमात्र प्रधानमंत्री जिसने लोकसभ का सामना नहीं किया :– चौधरी चरण सिंह
- लोकसभ चुनाव में पराजित होने वाले एकमात्र प्रधानमंन्त्री : श्रीमती इन्दिरा गांधी
- अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटने वाले एकमात्र प्रधानमंन्त्री : विश्वनाथ प्रताप सिंह
- ऐसे प्रधानमंन्त्री जो पद ग्रहण के समय राज्यसभा के सदस्य थे : श्रीमती इन्दिरा गांधी , डॉ. मनमोहन सिंह
- ऐसा प्रधानमंन्त्री जो पद ग्रहण के समय विधानसभा का सदस्य था : एच. डी . देवगौडा ।
- ऐसा प्रधानमंन्त्री जो पद ग्रहण के समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं था:– पी. वी. नरसिम्हा राव

भारत की संसद

- संसद भारत की संघीय विधायिका है। जिसमें राष्ट्रपति तथा दो सदन लोकसभा व राज्यसभा सम्मिलित है।
- राष्ट्रपति को भी संसद का अभिन्न अंग बनाया गया है। आकि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का समन्वय कायम रह सके ।

राज्यसभा

- राज्यसभा संसद का उच्च सदन है।
- संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। परन्तु वर्तमान में यह संख्या 245 है।
- इनमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते है। ये ऐसे व्यक्ति होते है। जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान और अनुभव प्राप्त हो । शेष सदस्य जनता द्वारा

8795728611

https://www.facebook.com/sarkarionlinejob/

WWW.SARKARIONLINEJOB.COM

अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते है। इनका चुनाव विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता है।

सदस्यों की योग्यताएँ :–

- वह भारत का नागरिक हो उसकी आयु 30 वर्ष से कम न हो ।
- वह किसी लाभ के पद पर न हो , विकृत मस्तिष्क का या दिवचालिया न हो ऐसी अन्य योग्यताएं रखता हो जो संसद के किसी कानून द्वारा निश्चित की जाए ।
- राज्यसभा एक स्थायी सदन है। यह कभी भंग नहीं होता बल्कि इसके एक – तिहाई सदस्य हर दो वर्ष बाद अवकाश ग्रहण कर लेते है। और इनके स्थान पर नए सरस्यों का चुनाव हो जाता है। इस प्रकार राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है।
- भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तथा राज्यसभा अपने में से किसी एक सदस्य को उपसभापति निर्वाचित करती है। सभापति की अनुपस्थिती में उपसभापति सभापति के कर्त्तव्यों का पालन करता है। उपसभापति को राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अपने कुल बहुमत से प्रस्ताव पारित कर हटाया जा सकता है।

राज्यसभा के कार्य तथा शक्तियां :–

- संविधान संशोधन की शाक्ति ।
- राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते है।
- राज्यसभा के सदस्य लोकसभा के सदस्यों के साथ मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते है। राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर राष्ट्रपति , सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तथा अन्य कुछ पदाधिकारियों पर महाभियोग लगा सकती है।
- राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर बहुमत से प्रस्ताव पास कर उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकती है।
- एक माह से अधिक अवधि तक यदि आपातकाल लागु रखना हो ता उस प्रस्ताव का अनुमोदन लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों से पारित होना आवश्यक है।

लोकसभा

- संघीय संसद का निम्न अथवा लोकप्रिय सदन है।
- लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या (530+20+2) 552 हो सकती हे। वर्तमान में इसकी व्यवहारिक सदस्य संख्या (530+13+2) 545 है।

निर्वाचकों की योग्यताएं

- लोकसभा के चुनाव में उन सभी व्यक्तियों को मतदान का अधिकार होगा जो भारत के नागरिक है। जिनकी आयु 18 वर्ष या अधिक है। जो पागल या दिवालिया नहीं है। और जिन्है संसद के कानून द्वारा किसी अपराध, भ्रष्टाचार या गैर– कानूनी व्यवहार के कारण मतदान से वंचित नहीं कर दिया गया है।

सदस्यों की योग्यताएँ –

- वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो–
- उसकी आयु 25 वर्ष या उससे अधिक हो ।
- भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अन्तर्गत वह कोई लाभ का पद धारण न किए हुए हो ।
- वह किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया न ठहराया गया हो तथा पागल न हो । वह संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा अयोग्य न ठहराया गया हो ।

संसद के कानून द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताएं–

- लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है। किन्तु प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय के पूर्व भी भंग किया जा सकता है।
- लोकसभा और राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए किए जाते है। इस सम्बन्ध में नियम केवल यह है। कि लोकसभा की दो बैठकों में 6 माह से अधिक का अन्तर नहीं होना चाहिए ।
- लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेगी । इनका कार्यकाल लोकसभा के कार्यकाल तक अर्थात समय से पूर्व भंग न होने की स्थिती में 5 वर्ष होता है। परन्तु पद से लोकसभा द्वारा दो तिहाई मत से पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया भी जा सकता है।

लोकसभा की शक्तियां व काय। –

- संविधान संशोधन सम्बन्धी शक्ति ।
- लोकसभा तथा राज्यसभा मिलकर राष्ट्रपति तथा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के विरूद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पास कर सकती है।
- राज्यसभा द्वारा पारित उपराष्ट्रपति की पदच्युति के प्रस्ताव पर लोकसभा का अनुमोदन आवश्यक है। राष्ट्रपति द्वारा की गई संकटकाल की घोषणा को एक माह के अन्दर संसद से स्वीकृत होना आवश्यक है।

सर्वोच्च न्यायालय

न्यायाधीशों की संख्या :–

- एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश

न्यायाधीशों की नियुक्ति :–

- 16 अक्टुबर 2015 को एक ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) के गठन के फैसले को निरस्त करते हुए इस सबंध में सरकार द्वारा लाए गए 99 वें संविधान संशोधन बिल को असंवैधानिक करार दिया । इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य न्यायाधीशों एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की पुरानी कोलेजियम व्यवस्था को बहाल करने का आदेश जारी किया ।
- इस व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा ये नियुक्तियां सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श के आधार पर की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इस प्रसंग में राष्ट्रपति को परामर्श देने के पूर्व अनिवार्य रूप से 'चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों के समूह' से परामर्श प्राप्त करते है। तथा न्यायाधीशों से प्राप्त परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति को परामर्श देते है।
- व्यवहारिक तौर पर सर्वोच्च न्यायालय का सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनता है।

न्यायाधीश की योग्यताएँ –

- वह भारत का नागरिक हो ।

8795728611

https://www.facebook.com/sarkarionlinejob/

WWW.SARKARIONLINEJOB.COM

- वह किसी उच्च न्यायालय अथवा दो या दो से अधिक न्यायालयों में लगातार कम–से –कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो । अथवा किसी उच्च न्यायालय या न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो अथवा राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो ।

कार्यकाल तथा महाभियोग :–

- साधारणतः सर्वोच्च न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर आसीन रह सकता है। इस अवस्था के पूर्व वह स्वयं त्यागपत्र दे सकता है। इसके अतिरिक्त सिद्ध कदाचार अथवा असमर्थता के आधारा पर संसद के द्वारा 2/3 सदस्यों के बहुमत से न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है।

वेतन भत्ते और अन्य सुविधाएँ :–

- वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 1,00,000 रू प्रति माह व अन्य न्यायाधीशों कों 90,000 रू. प्रति माह वेतन प्राप्त होता है। न्यायाधीशों के लिए पेंशन व सेवानिवृति वेतन की व्यवस्था भी है। उन्हें वेतन व भते भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India) से दिए जाते है।

प्रारम्भिक एकमेव क्षेत्राधिकार :–

- इसका आशय उन विवादों से है। जिनकी सुनवाई केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही की जा सकती है। इसके अन्तर्गत निम्न विषय आते है।
- भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद –
- भारत सरकार , संघ का कोई राज्य या राज्यों तथा एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद,
- दो या दो से अधिक राज्यों के बीच संवैधानिक विषयों के सम्बन्ध में उत्पन्न कोई विवाद

न्यायिक पुनरावलोकन :–

- इस अधिकार के तहत सर्वोच्च न्यायालय सुनिश्चित करता है। कि विधायिका द्वारा बनाए गए कानून तथा कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए आदेश संविधान के प्रावधानों के विपरीत नहीं हे। यदि यह संविधान से मेल नहीं खाते तो यह उन्हें असंवैधानिक घोषित कर सकता है।

अपीलीय क्षेत्राधिकार :–

- सर्वोच्च न्यायालय भारत का अन्तिम अपीलीय न्यायालय है। इसे समस्त राज्यों के उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरूद्ध अपीलें सूनने का अधिकार है।

परामर्श सम्बन्धि क्षेत्राधिकार :–

- भारत का राष्ट्रपति किसी कानूनी प्रश्न या तथ्य पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकता है। यह सर्वोच्च न्यायालय का कर्तव्य है। कि वह राष्ट्रपति द्वारा दिए गए मामले पर सलाह दें परन्तु उसकी सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है।

अभिलेख न्यायालय :–

- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए सभी निर्णयों को प्रकाशित किया जाता है। तथा अन्य मामले में उनका हवाला दिया जस सकता है। इस प्रकार यह एक अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है।

मौलिक अधिकारों का रक्षक :–

- यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक और संविधान का संन्तुलन चक्र है।

जनहित अभियोग (Public Interest Litigation) :-

- इस व्यवस्था के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति किसी ऐसक समूह अथवा वर्ग की और से न्यायालय में वाद दायर कर सकता है। जिसे कानूनी अधिकारों से वंचित कर दिया गया हो । इस व्यवस्था की विशेषता है। कि न्यायालय अपने सारे तकनीकी और कार्य विधि सम्बन्धी नियमों की गहराई में जाए बिना एक सामान्य पत्र के आधार पर कार्यवाही कर सकता है।

राज्य सरकार : राज्यपाल

नियुक्ति :–

- राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संविधान द्वारा स्थापित संसदीय व्यवस्था में राज्यपाल केवल संवैधानिक प्रधान है। अतः राज्यपाल पद के सम्बन्ध में निर्वाचन में स्थान पर मनोनयन की पद्धति को अपनाया गया है।

कार्यकाल तथा वेतन :–

- राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। लेकिन वह उपने उतराधिकारी के पद ग्रहण करने तक अपने पद पर बना रह सकता है। संविधान के अनुसार एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है।
- राज्यपाल को 1,10,000 रूपये प्रतिमास वेतनप मिलता है। राज्यपाल का वेतन तथा भते राज्य की संचित निधि पर भारित है।

योग्यताएँ :–

- वह भारत का नागरिक हो ।
- उसकी आयु कम–से–कम 35 वर्ष हो ।
- राज्यपाल संसद या राज्य के विधानमण्डल का सदस्य नहीं हो सकता है। और यदि वह किसी सदन का सदस्य है। तो राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की तिथि से उसे अपने सदन की सदस्यता का त्याग करना होगा ।

शक्तियाँ :–

- वह मुख्यमंन्त्री की नियुक्ति करता है। तथा उसके परामर्श से अन्य मंन्त्रियों की नियुक्ति करता है। वह महाधिवक्ता और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति करता है वह व्यवस्थापिका का अधिवेशन बुलाता , स्थगित करता और व्यवस्थापिका के निम्न सदन 'विधानसभा' को भंग कर सकता है।
- वह विधानमण्डल की पहली बैठक को सम्बोधित करता है। और उसके बाद भी वह विधानमण्डल को सन्देश भेज सकता है।
- राज्य विधानमण्डल द्वारा पारित विधेयक पर राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक है। वह विधेयक को अस्वीकृत कर सकता है। या उसे पुनर्विचार के लिए एक बाद विधानमण्डल को लौटा सकता है।

8795728611

https://www.facebook.com/sarkarionlinejob/

WWW.SARKARIONLINEJOB.COM

- यदि राज्य के विधानमण्डल का अधिवेशन न हो रहा हो तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। अगर वह देखता है। कि राज्य का प्रशासन संविधान के उपबन्धों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है। तो वह राष्ट्रपति को राज्य में संवैधानिक तंन्त्र की विफलता के सम्बन्ध में सूचना देता है। और उसकी रिपोर्ट के आधार पर अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागु होता है। संकटकालीन स्थिती में वह राज्य में राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है।

मुख्यमन्त्री

नियुक्ति :–

- संविधान के अनुच्छेद 164 में कहा गया गया है। कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा । व्यवहार के अन्तर्गत राज्यपाल के द्वारा विधानसभा के बहुमत दल के नेता को ही मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया जा सकता है।

कार्य एवं अधिकार :–

- मंत्रीपरिषद् का निर्माण ।
- मन्त्रियों में काय्र का बंटवारा और विभाग परिवर्तन ।
- मन्त्रिमण्डल का कार्य संचालन ।
- शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय ।
- मंत्रीपरिषद् और राज्यपाल के बीच की कडी ।
- विधानसभा के नेता के रूप में कार्य ।
- सरकार के प्रधान प्रवक्ता के रूप में कार्य ।
- राज्य में बहुमत दल के नेता के रूप में कार्य ।
- राज्य की सम्पूर्ण शासन व्यवस्था पर नियन्त्रण रखना ।

विधानसभा

स्थिति :–

- विधानसभा राज्य के विधानमण्डल का निम्न सदन है। विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष्ज्ञ रूप से राज्य की जनता करती हे। इस कारण इस सदन को लोकप्रिय सदन भी कहते है।
- विधानसभा विधानपरिषद् से अधिक शक्तिशाली होती है।
- राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 525 और न्युनतम संख्या 60 होती है।

निर्वाचन पद्धति :–

- आंग्ल भारतीय समुदाय के एक नामजद सदस्य को छोडकर विधानसभाके अन्य सभी सदस्यों का मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। विधानसभा के निर्वाचन के लिए व्यस्क मताधिकार और संयुक्त निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई है।

मतदाताओं की योग्यताएँ :–

- मतदाता होने के लिए 18 वर्ष की आयु प्राप्त भारतीय नागरिक होना चाहिए उसे पागल , दिवालिया या अपराधी नहीं होना चाहिए तथा उसका नाम मतदाता सुची में शामिल होना चाहिए ।

सदस्यों की योग्यताएँ :–

- वह भारत का नागरिक हो ।
- कम से कम 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो ।
- संसद द्वारा निर्धारित योग्यता रखता हो ।

कार्यकाल :–

- साधारण अवस्था में राज्य विधानसभा का कार्यकाल उसकी पहली बैठक से पांच वर्ष का है। किन्तु राज्यपाल द्वारा इसे समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। परन्तु यह बढी हुई अवधि अधिक से अधिक संकटकाल की समाप्ति के 6 माह बाद तक हो सकती है।

पदाधिकारी :–

- प्रत्येक राज्य की विधानसभा के दो मुख्य पदाधिकारी होते है। अध्यक्ष(speaker)और उपाध्यक्ष(Deputy Speaker)
- इन दोनों का चुनाव विधानसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से करते है। तथा इनका कार्यकाल विधानसभा के कार्यकाल तक होता है। इसके बीच अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्या को तथा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को दे सकता है। इन दोनों को विधानसभा सदस्यों के बहुमत द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के आधार पर हटाया जा सकता है।

विधानसभा की शक्तियां और कार्य र:–

- 1. विधायी शक्तियां 2. वितीय शक्तियां 3. प्रशासनिक शक्तियां 4. संविधान संशोधन की शक्तियां 5. निर्वाचन सम्बन्धी शक्तियां ।

विधानपरिषद्

स्थिति :–

- राज्य के विधानमण्डल के दूसरे सदन को विधानपरिषद् कहा जाता है। इसे उच्च सदन भी कहा जाता है। वर्तमान समय में विधानपरिषद् भारतीय संघ के केवल 7 राज्यों (उतरप्रदेश , बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, जम्मू–कश्मीर, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना) में है।

सदस्य संख्या :7

- संविधान में व्यवस्था की गई है। कि प्रत्येक राज्य की विधानपरिषद के सदस्यों की संख्या उनकी विधानसभा के सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी । परन्तु साथ ही यह भी कहा गया है। की किसी भी दशा में उसकी सदस्य संख्या 40 से कम नहीं होनी चाहिए ।
- 36 सदस्यों वाली जम्मू–कश्मीर की विधानपरिषद इस नियम का उपवाद है।

गठन :–

- विधानपरिषद् में गठन के लिए निम्न 5 आधारों का सहारा लिया जाता है।
- 1/3 सदस्य राज्य की स्थानीय संस्थाओं द्वारा चुने जाते है।
- 1/3 सदस्य राज्य की विधानसभा द्वारा निर्वाचित होते है।
- 1/12 सदस्य राज्य के पंजीकृत स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते है।

8795728611

https://www.facebook.com/sarkarionlinejob/

- 1/12 सदस्य राज्य के ऐसे अध्यापकों द्वारा निर्वाचित होते है। जो माध्यमिक पाठशाला या इससे उच्च शिक्षण संस्था में कम से कम 3 वर्ष से अध्यापन कार्य कर रहे है।
- 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते है। मनोनयन राज्यपाल द्वारा उन व्यक्तियों में से किया जाता है। जो साहित्य ,विज्ञान,कला ओर समाज सेवा के क्षेत्र में रूचि रखते है।

सदस्यों की योग्यताएँ :–

- विधानसभा की सदस्यता के लिए भी वही योग्यताएं है। जो विधानसभा की सदस्यता के लिए है। अन्तर केवल यह है। की विधानपरिषद् की सदस्यता के लिए आयु न्युनतम 30 वर्ष होनी चाहिए । इसके अतिरिक्त, निर्वाचित सदस्य को उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक होना चाहिए व नियुक्त किए जाने वाले सदस्य को उस राज्य का निवासी होना चाहिए जिसकी विधानपरिषद का वह सदस्य बनना चाहता है।

कार्यकाल :–

- विधानपरिषद एक स्थायी सदन है। पूरी विधानपरिषद कभी भी भंग नहीं होती और इसे राज्यपाल द्वारा भी भंग नहीं किया जा सकता है।
- विधानपरिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है। प्रति दो वर्ष पश्चात एक –तिहाई सदस्य अपना पद छोड देते है। और उनके स्थान के लिए नए निर्वाचन होते है।
- भारतीय संसद कानून बनाकर किसी राज्य में (उस राज्य की सहमति के बाद) विधानपरिषद की उत्पति कर सकती है। अथवा उसके अस्तित्व को समाप्त कर सकती है।

उच्च न्यायालय

न्यायाधीशों की नियुक्ति :–

- प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक प्रमुख न्यायाधीश व कुछ अन्य न्यायाधीश होते है। जिनकी संख्या निश्चित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है।
- 16 अक्टुबर 2015 को एक ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग(NJAC) के गठन के फैसले को निरस्त करते हुए इस सबंध में सरकार द्वारा लाए गए 99 वें संविधान संशोधन बिल को असंवैधानिक करार दिया । इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य न्यायाधीशों एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की पुरानी कोलेजियम व्यवस्था को बहाल करने का आदेश जारी किया ।
- इस व्यवस्था के अनुसार मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश और उस राज्य के राज्यपाल के परामर्श से होती है। तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में सम्बन्धित राज्य के मुख्य न्यायाधीश का भी परामर्श लेना होता है।
- भारत के मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति व स्थानान्तरण के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों के समूह की सर्वसम्मत राय के आधार पर ही राष्ट्रपति को परामर्श देंगें ।

न्यायाधीशों की योग्यताएं :–

- वह भारत का नागरिक हो ।
- वह कम से कम 10 वर्ष तक भारत के किसी क्षेत्र में न्याय सम्बधी पद पर कार्य कर चुका हो अथवा एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों का लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो अथवा राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का अच्छा ज्ञाता हो ।

वेतन एवं भते :–

- वर्तमान में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 90000 रू प्रति माह तथा अन्य न्यायाधीशों को 80,000 रूपए प्रति माह वेतन प्राप्त होता है।
- न्यायाधीशों के लिए पेंशन व सेवानिवृति वेतन की व्यवस्था भी की गई है।
- न्यायाधीशों तथा भते राज्य की संचित निधि (Consolidated Fund of State)पर भारित होते है।

कार्यकाल :–

- उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 62 वर्ष की आयु तक निश्चित किया गया है। परन्तु इससे पूर्व वह स्वयं पद त्याग कर सकता है।
- किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए जाने की प्रक्रिया से भी राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है।

संख्या :–

- 26 जनवरी 2013 को केन्द्र सरकार द्वारा मेघालय ,मणिपुर एवं त्रिपुरा में तीन नए उच्च न्यायालयों का गठन किया गया । इन्हें मिलाकर अब देश में उच्च न्यायालयों की संख्या 24 हो गई है।

संविधान के प्रमुख संशोधन

पहला संशोधन 1951 :–

- इस संशोधन द्वारा नौवीं अनुसूची को शामिल किया गया ।

दूसरा संशोधन 1952 :–

- संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया ।

सातवां संशोधन 1956 :–

- इस संशोधन द्वारा राज्यों का अ, ब, स, और द वर्गो में विभाजन समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों और 6 केन्द्रशासित क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया

दसवां संशोधन 1961 :–

- दादरा और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिती प्रदान की गई ।

12वां संशोधन 1962 :–

- गोवा, दमन और दीव का भारतीय संघ में एकीकरण किया गया

21वां संशोधन 1967 :–

- आठवीं अनुसूची में 'सिन्धी' भाषा को जोडा गया ।

22वां संशोधन 1968 :–

- संसद को मेघालय को एक स्वतन्त्र राज्य के रूप में स्थापित करने तथा उसके लिए विधानमण्डल और मन्त्रिपरिषद का उपबन्ध करने की शक्ति प्रदान की गई है।

8795728611

https://www.facebook.com/sarkarionlinejob/

WWW.SARKARIONLINEJOB.COM

27वां संशोधन 1971 :–

- उतरी–पूर्वी क्षेत्र के पांच राज्यों : असम, नागालैण्ड , मेघालय, मणिपुर व त्रिपुरा तथा दो संघीय क्षेत्रों : मिजोरम और अरूणाचल पदेश का गठन किया गया तथा इनमें समन्वय और सहयोग के लिए एक पूर्वोतर सीमान्त परिषद की स्थापना की गई ।

36वां सशोधन 1975 :–

- सिक्किम को भारतीय संघ में संघ के 22 वें राज्य के रूप में प्रवेश प्रदान किया गया ।

42वां संशोधन 1976 :–

- कुछ विद्वानों द्वारा इसकी व्यापक प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए इसे 'लघु संविधान ' की संज्ञा प्रदान की गई है। इसकी प्रमुख बातें इस प्रकार है।
- इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में 'धर्मनिरपेक्ष ',समाजवादी ' और अखण्डता' शब्द जोडे गए ।
- इसके द्वारा अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों की व्यवस्था करते हुए नागरिकों के 10 मूल कर्तव्य निश्चित किए गए ।
- इसके अनुसार नीति निदेशक तत्वों को प्रभावित करनें के लिए मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है।
- लोकसभा तथा विधानसभा के कार्यकाल में एक वर्ष की वुद्धि की गई ।
- निदेशक तत्वों में कुछ नवीन तत्व जोडे गए है।
- इसकें द्वारा शिक्षा, नाम–तोल, वन और जंगली जानवर तथा पक्षिओं की रक्षा, ये विषय राज्य सुची से निकालकर समवर्ती सुची में रख दिए गए है।
- यह व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 352 के अन्तर्गत आपातकाल सम्पूर्ण देश में लागू किया जा सकता है। या देश के किसी एक या कुछ भागों के लिए ।
- संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनोती देने से वर्जित कर दिया गया है।

43वां संशोधन 1977 :–

- 42वें संवैधानिक संशोधन की कुछ आपतिजनक व्यवस्थाओं ,विशेषतया न्यायपालिका से सम्बन्धित व्यवस्थाओं को रद्द कर दिया गया ।

44वां संशोधन 1978 :–

इसकी प्रमुख बातें इस प्रकार है।

- सम्पति के मूलाधिकार को समाप्त करके इसे विधिक अधिकार बना दिया गया ।
- लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि पुनः 5 वर्ष कर दी गई
- राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति , प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव विवादों की सुनवाई का अधिकार पुनःसर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय को ही दे दिया गया ।
- मंन्त्रिमण्डल द्वारा राष्ट्रपति को जो भी परामर्श दिया जाएगा ,राष्ट्रपति मन्त्रिमण्डल को उस पर दोबारा विचार करने के लिए कह सकेगें लेकिन पुनर्विचार के बाद मंन्त्रिमण्डल राष्ट्रपति को जो भी परामर्श देगा, राष्ट्रपति उस परामर्श को अनिवार्यतः स्वीकार करेंगें ।

1. राष्ट्रपति द्वारा आपाताकाल की घोषणा तभी की जा सकेगी । जबकि मन्त्रिमण्डल लिखित रूप से राष्ट्रपति को ऐसा परामर्श दें

2. आपातकाल युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिती में ही घाषित किया जा सकेगा । 'आन्तरिक अशान्ति' के आधार पर नहीं ।

3.घोषणा के एक माह के भीतर संसद के विशेष बहुमत से इसकी स्वीकृति आवश्यक होगी ।

- 'व्यक्ति के जीवन और स्वतन्त्रता के अधिकार ' को शासन के द्वारा आपातकाल में भी स्थगित या सीमित नहीं किया जा सकता, आदि ।

52वां संशोधन 1985 :–

- इस संशोधन द्वारा संविधान में दसवीं अनुसुची जोडी गई । इसके द्वारा राजनीतिक दल–बदल कर कानूनी रोक लगाने की चेष्टा की गई है।

55वां संशोधन 1986 :–

- अरूणाचल प्रदेश को भारतीय संघ के अन्तर्गत राज्य का दर्जा प्रदान किया गया ।

56वां संशोधन 1987 :–

- इसमें गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा देने तथा 'दमन व दीव ' को नया संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था है।

58वां संशोधन1987 :–

- संविधान के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ को मान्यता प्रदान की गई है।

61वां संशोधन1989 :–

- मताधिकार के लिए न्युनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई ।

71वां संशोधन 1992:–

- तीन और भाषाओं : कोंकणी, मणिपुरी, और नेपाली को संविधान की आठवी अनुसूची में सम्मिलित किया गया ।

73वां संशोधन 1992:–

- संविधान में एक नया भाग 9 तथा एक नई अनुसूची ग्यारहवीं अनुसूची जोडी गई और पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया ।

74वां संशोधन 1993 :–

- संविधान में एक नया भाग : 9 तथा एक नई अनुसूची 12वीं अनुसूची जोडकर शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया ।

84वां संवैधानिक संशोधन 2001 :–

- लोकसभा एवं विधानसभाओं की सीटों की संख्या में सन 2026 तक कोई छेडछाड नहीं करने सम्बन्धी 84 वां सवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2002 पारित किया गया । निर्वाचित क्षेत्रों का परिसीमन सन 1991 की जनगण्ना पर आधारित किया गया ।

85वां संवैधानिक संशोधन 2001 :–

- इस संशोधन से सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण का मार्ग प्रशस्त किया गया है।

87वां संवैधानिक संशोधन विधेयक 2003 :–

8795728611

https://www.facebook.com/sarkarionlinejob/

- इसमें यह प्रावधान किया गया है। कि निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन सन 2001 की जनगणना के आधार पर होगा ।

88वां संवैधानिक संशोधन विधेयक 2003 :–

- इस संशोधन के द्वारा संविधान की सातवीं अनुसूची में संशोधन कर केन्द्र सरकार को सेवा कर लगाने का अधिकार प्रदान किया गया है।

91वां संवैधानिक संशोधन विधेयक 2003 :–

- इसमें दलबदल–विरोधी कानून में संशोधन किया गया है। इसके अतिरिक्त ये प्रावधान भी किया गया है। कि केन्द्र और राज्य सरकारें अपने अपने मन्त्रिमण्डल में मन्त्रियों की संख्या लोकसभा और विधानसभा की सीटों के 15 प्रतिशत से ज्यादा नहीं कर सकती ।

92वां संवैधानिक संशोधन विधेयक 2003 :–

- इसमें आठवी अनुसूची में चार और भाषाओं – मैथिली, डोगरी, बोडो और सन्थाली – को जोडा गया है।

93वां संवैधानिक संशोधन विधेयक 2005 :–

- इसके तहत गैर–सहायता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। इसें संविधान के अनुच्छेद 15 में जोडा गया है।

94वां संवैधानिक संशोधन विधेयक 2006 :–

- इसके तहत बिहार राज्य को एक जनजाति कल्याण मंत्री नियुक्त करने के उतरदायित्व से मुक्त कर दिया गया तथा इस प्रावधान को झारखंड व छतीसगढ राज्यों में लागू करने की व्यवस्था की । मध्यप्रदेश एवं उडीसा राज्य में यह प्रावधान पहले से ही लागु है।

95वां संवैधानिक संशोधन विधेयक 2010 :–

- अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि 25 जनवरी 2020 तक के लिए बढा दी गई है।

96वां संवैधानिक संशोधन विधेयक 2011 :–

- आठवीं अनुसूची में 'उडीया' भाषा के स्थान पर 'ओडिसा' भाषा किया गया ।

97वां संवैधानिक संशोधन विधेयक 2012 :–

- अनुच्छेद19 (1)(c) में 'या संघ' के बाद 'या सहकारी संस्था' जोडा गया

99वां संवैधानिक संशोान विधेयक 2014 :–

- इसके तहत न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) का गठन किया गया इसे वर्ष 2015 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया है।

100वां संवैधानिक संशोधन विधेयक 2015 :–

- इसमें बांग्लादेश के साथ भूमि सीमा समझोते के तहत भारत बांग्लादेश सीमा का पुनर्निर्धारण किया गया ।